प्रेस नोट

दिनांक 07.07.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में 03 नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में पुलिस के कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षणः-

गोण्डा। आज दिनांक 07.07.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में 03 नये आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के तहत प्रशिक्षण एंव कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में डी0सी0 राजदीप यादव द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों को 03 नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में थाने पर नियुक्त विवेचकगण(निरीक्षक, उपनिरीक्षक) एवं सी0सी0टी0एन0एस0 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया ।

प्रशिक्षण के द्वारा बताया गया कि नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) एक जुलाई से लागू हो चुका है । इन नए कानूनों के लागू होने से अपराध एव अपराधियों पर और प्रभावी ढंग से शिंकजा कसा जा रहा है । इन तीन नए प्रमुख कानूनों का उद्देश्य दंड देने की बजाय न्याय देना है । नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव हुआ है जैसे हत्या के लिए लगायी जाने वाली धारा 302 अब धारा 101, ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316, हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 हो गयी है। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 हो गयी है । भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत संगठित अपराधों (जैसे – अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, अवैध वसूली, भूमि-हथियाना, आर्थिक लाभ, साइबर अपराध, अनुबन्ध हत्या, व्यक्तियों व नशीले पदार्थ एवं हथियारों की तस्करी, वैश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी आदि) में सामिल व उनके सहयोगियों को कम से कम 05 वर्ष की कैद व अधिकतम उम्र कैद या मृत्यु दण्ड एवं कम से कम 05 लाख का जुर्माना का प्रवधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना राज्य के किसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी को दी जा सकती है चाहे वह अपराध पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र में घटित हुआ हो या नही। थाना प्रभारी द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाएगा नए कानूनों में फोरेंसिक साक्ष्य संकलन और फॉरेसिंक लैब की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है तथा इन कानूनों में ई-रिकार्ड का प्रावधान किया गया है । ई0- एफ0आई0आर0 व चार्जशीट डिजिटल होगे । 07 साल या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों में फॉरेसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही को अनिवार्य किया गया है । नए कानूनों में अपराधी को दण्ड एवं पीड़ित को न्याय के विशेष प्रावधानों का उल्लेख है । कानून में संशोधन के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को प्राथमिकता दी गई है। आतंक और संगठित अपराध के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के महत्व को नए कानून में स्पष्ट किया गया है। अब थाने से कोर्ट तक की सभी प्रक्रिया आनलाइन होगी।

प्रशिक्षण के दौरान समस्त थानों से आये हुए विवेचकगण(निरीक्षक, उपनिरीक्षक) व सी0सी0टी0एन0एस0 कर्मी आदि मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.07.2024

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-202/24, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त छोटू यादव पुत्र केशवराम यादव निवासी काशीपुरवा मौजा पथारे थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को अमदही बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पर सूचना दिया की मेरी लड़की को विपक्षी छोटू यादव को बहला-फुसला कर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज पर . मु0अ0सं0-202/24, धारा 363, 366 भादवि बनाम छोटू यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.07.2024 को विवचेना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त छोटू यादव पुत्र केशवराम यादव निवासी काशीपुरवा मौजा पथारे थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को अमदही बाजार से थाना उमरीबेगमगंज पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. छोटू यादव पुत्र केशवराम यादव निवासी काशीपुरवा मौजा पथारे थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-202/24, धारा 363, 366 भादवि थाना उमरीवेगमगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्र
02. का0 ऋषिकेश

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.07.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शशी भारती, श्री राजमंगल मौर्य, म0का0 शाहिना बानो, म0का0 ज्योति राजभर आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट

दिनांक 07.07.2024, थाना कोतवाली नगर

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 650 ग्राम अवैध गाँजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (650 ग्राम गाँजा) के साथ अभियुक्त राजू कुमार पुत्र स्व0 रामगोपाल निवासी ग्राम व पोस्ट बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को कटहाघाट मोड़ चुंगी नाका के आगे से गिरफ्तार कर कब्जे से 650 ग्राम गाँजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0स0- 500/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 07.07.2024 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि कटहाघाट मोड़ के आगे चुंगी नाका के पास पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (650 ग्राम गाँजा) बरामद कर अभियुक्त राजू कुमार पुत्र स्व0 रामगोपाल निवासी ग्राम व पोस्ट बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0स0- 500/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजू कुमार पुत्र स्व0 रामगोपाल निवासी ग्राम व पोस्ट बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 500/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 650 ग्राम गाँजा(अवैध मादक पदार्थ) बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार गुप्ता
02. का0 कृष्णा यादव
03. का0 आदर्श तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।